प्रारूप

किसान पॉलिसी के तहत मृत्यु / स्थायी संपूर्ण अक्षमता की स्थिति में दावे के लिये बीमाकर्ताओं को आवेदन (क्लेम फार्म)

अधोहस्तारकर्ता, अर्थात ....जनपद ....तहसील के ....
गांव के / की निवासी मैं / हम श्री / श्रीमती ....यह घोषणा करते है
कि ....को (दुर्घटना की तिथि) ....जिले की ....तहसील के ....
गांव में श्री /श्रीमती...................................... की मृत्यु / स्थायी अक्षमता हुई। दावाकर्ता / नामांकित व्यक्ति के रूप में मै........
..../ हम किसान पांलिसी के तहत रू0 1,00,000/– या रू0 50,000/–या रू0 40,000/– के लिए आवेदन कर रहे है। आपसे निवेदन है कि कृपया दावे का निपटान करें और राषि नीचे दिये गये पते पर भेज दें।

खतौनी रिकार्ड के अनुसार हिताधिकारी व्यक्ति के साथ साथ उससकी दुर्घटनाजन्य मृत्यु के संबंध में लेखपाल का प्रमाण पत्र

1– मृतक /घायल का विवरणः

1– नाम ....

2– पिता / पति का नाम ....

3– पता ....

4– आयु ....

5– लिंग (पुरूष / स्त्री) ....

6– दुर्घटना का प्रकार ....

7– मृत्यु अथवा स्थाई संपूर्ण अक्षमता ....

8– स्थायी संपूर्ण अक्षमता का विवरण व प्रतिषत ....

2– प्रथम उत्तराधिकारी का विवरणः

अनुक्रमांक ....

नाम ....

आयु ....

सम्बन्ध ....

द्वितीय उत्तराधिकारी का विवरण (यदि प्रथम उत्तराधिकारी की मृत्यु बीमा दावे की रकम मिलने से पहले हो जाये तो)

1– नाम ....

2– पिता /पति का नाम ....

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3– पता ....
4– आयु ....
5– लिंग (पुरूष /स्त्री) ....
6– दुर्घटना का प्रकार ....

3– बैंक का विवरणः
1– बैंक का नाम ....
2– पता ....
3– बचत खाता क्र0 ....
....

लेखपाल द्वारा सत्यापित

हिताधिकारी / दावाकर्ता के हस्ताक्षर
या बायें हाथ के अंगूठे का निषान

जमींदारी विनाष एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के कुल महत्वपूर्ण प्राविधान।

धारा 171– उत्तराधिकार का सामान्य क्रम– (1) धारा 169 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई पुरूष भूमिधर या असामी मर जाये तो उसकी जोत में उसका स्वत्व निम्नलिखित सिद्वान्तों के अनुसार उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को न्यायगत होगा, अर्थात्–

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी समान अंषों के साथ–साथ लेंगें:

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट सभी उत्तराधिकारियों को वर्जित करके लेगें, अर्थात खण्ड (क) के उत्तराधिकारियों को खण्ड (ख) के उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जायेगा और इसी प्रकार उत्तरवर्ती क्रम रहेगा,

(तीन) यदि किसी भूमिधर या असामी या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंषज को, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, एक से अधिक विधवाएं हों, तो ऐसी सभी विधवाएं मिलकर एक अंष लेंगी।

(चार) विधवा या विधवा मां या पिता की विधवा मां या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वषंज की, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, विधवा केवल तभी उत्तराधिकार पायेगी यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो,

(2) किसी पुरूष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिष्तेदार उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी है, अर्थात–

(क) विधवा और पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंषज प्रतिषाखा के अनुसार,

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, वह चाहे जितनी भी नीची पीढी में हो, प्रति शाखा के अनुसार व अंष उत्तराधिकार मे मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता,

(ख) माता और पिता
(ग) अविवाहिता पुत्री
(घ) विवाहित पुत्री
(ड) भाई, और अविवाहिता पुत्री, जो क्रमषः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो, और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्वमृत भाई एक ही मृत पिता का पुत्र हो।
(च) पुत्र की पुत्री
(छ) पितामही और पितामह
(ज) पुत्री का पुत्र
(झ) विवाहिता बहन
(ञ) सौतेली बहन जो एक ही मृत पिता की पुत्री हो।
(ट) बहिन का पुत्र
(ठ) सौतेली बहन का पुत्र, जब सौतेली बहिन एक ही मृत पिता की पुत्री हो,
(ड) भाई के पुत्र का पुत्र
(ढ़) नानी का पुत्र
(ण) पितामह का पौत्र

यह परिवर्तन बदलती हुए समाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराधिकार के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार के पक्ष में परिवर्तित करने के उद्देष्य से किया गया है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

जमींदारी विनाष अधिनियम की धारा 169 में परिवर्तन

मूल अधिनियम की धारा 169 में, प्राविधान है कि अन्तरर्णीय अधिकारो वाला भूमिघर वसीयत द्वारा अपने खाते या उसके किसी भाग की वसीयत कर सकेगा। ऐसे प्रत्येक इच्छापत्र, किसी रूढि या प्रचलन में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी लेखबद्व और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा।इस धारा में पहले वसीयत के रजिस्ट्रीकृत होने अथवा न होने के सम्बन्ध में कोई बन्दिष नही थी, परन्तु उत्तर प्रदेष सरकार के विधायी अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1230/ सात–वि0–1–1(क) 25–2004 दिनांक 23, अगस्त,2004 द्वारा इस घारा में इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि वसीयत '' लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत होगी।'' इस प्रकार अपजीकृत वसीयतों के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाहियां नही की जायेगी और किसी प्रकार भौमिक अधिकार अपंजीकृत वसीयतों पर प्राप्त नही होगा। यह परिवर्तन शासन द्वारा जाली वसीयतनामों की प्रचुर मात्रा में कूट रचना से बचने के लिए जनहित में किया गया है।

जमींदारी विनाष अधिनियम की धारा 168(क) में परिवर्तन

मूल अधिनियम की धारा–168(क) के अर्न्तगत यह प्राविधान था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थिति किसी भूमि खण्ड को विक्रय,दान या विनिमय द्वारा अन्तरित नहीं कर सकता है। भूखण्ड से तात्पर्य 3.125 एकड से कम क्षेत्रफल का था। 3.125 एकड से अधिक भूमि के टुकडे को खण्डकरण नहीं माना जाता था,परन्तु जनहित में उ0प्र0सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, द्वारा उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया है। प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए टुकडों के संक्रमण पर प्रतिबन्धों से सम्बन्धित उपबन्धों को निकाल दिया गया है।

इस धारा 168 (क) के होते हुए किसी टुकडे के संक्रमण से होने वाले दुषप्रभावों को कम करने के लिए एक विषेष उपबन्ध जोडा गया है जो निम्नवत हैः–

विषेष उपबन्धः–

''एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी टुकड़े के किसी संक्रमण को जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान था और जो धारा 168–क के अधीन व्यर्थ हो गया हो, व्यर्थ होने योग्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पष्चात् प्रभावहीन हो जायेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com